<u>**Special Exclusive Excise Court, Sheikhpura**</u>

Excise Case No. 65/2019

-09-2025

वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त गोपाल साह के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा निवेदन करते हैं कि अभियुक्त धारा 37(बी) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2018 में राशि जमा करना चाहते हैं एवं दोष स्वीकार करना चाहता है। अभियुक्त का 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत ब्यान दर्ज किया गया। सुना। आज आदेश हेतु निजी संचिका में रखा जाता है।

अभिलेख का अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त को धारा 37(बी) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाता है एवं धारा 37(बी) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम में मो0 3500/- रूपया का अर्थदण्ड की राशि जमा करने का आदेश दिया जाता है। जुर्माना की राशि से चुक होने की स्थिति में एक माह कारावास की सजा भुगतना होगा। जुर्माना राशि प्राप्त होने के बाद छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्या0

पश्चात्
03-09-2025

उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त गोपाल साह की ओर से मो0 3500/- रूपया की राशि का नाजीर रसीद सं. 112730 द्वारा दाखिल किया गया। अभियुक्त अर्थदण्ड की राशि जमा कर दिया है। कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्या0